राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पपत्र संख्या 23, 24 एवं 25/2017...जिला–जयपुर ।

उनवान– मैसर्स रोजमर्टा टेक्नोलोजीस लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर प्रतिकरापवंचन,जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की ताभील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री.खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** **(कैम्प–जयपुर)**	
14.06.2017	1. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री एम.के.गांधी व राजस्व की ओर से श्री रामकरण सिंह, विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक व उपस्थित । 2. उक्त तीनों विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी की ओर से कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रकरण अपील संख्या 847, 848 एवं 849/2017/जयपुर मैसर्स रोजमर्टा टेक्नोलोजीस लि.जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन,जोन–तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 30.05.2017 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण में जमानत प्रस्तुत करने की समयावधि 15 दिन और बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । 3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । 4. उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा जमानत प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । 5. उभयपक्षीय बहस व व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात व्यवहारी के निवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 30.05.2017 में जमानत प्रस्तुत करने की निर्धारित समय सीमा को इस निर्णय की दिनांक से 15 दिन और बढ़ाया जाना यह पीठ उचित समझती है। अतः अपील प्रकरणों जमानत पेश करने की समयसीमा 15 दिनों के लिए और बढ़ायी जाती है । 6. निर्णय सुनाया गया । (मदन लाल मालवीय) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	